**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.**

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 निग0 3087-पीबीआर/15

ललऊ उर्फ ललउआ पिता हरी लाल पटेल, निवासी ग्राम पिपरिया, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0) हाल निवास नौरोजाबाद मकान नं.05, तहसील उमरिया, जिला उमरिया (म0प्र0)

-- आवेदक

श्री विनोद भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि. 11.9.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. चन्द्रवती पिता हरीलाल पटेल, निवासी ग्राम पिपरिया, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0),
2. अनारवती पिता हरीलाल पटेल, निवासी मेडियारास, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)
3. गुल्ला पिता हरीलाल पटेल
4. चमरू पिता बैजनाथ पटेल,
5. केदार पिता जयराम पटेल, निवासी ग्राम पिपरिया, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट 11-9-2015

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2014-15 में पारित आदेश में दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3087–III/2015 जिला अनूपपुर

ललऊ उर्फ ललऊआ विरूद्ध चन्द्रवती आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24–9–2015 | आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 38/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदिका चन्द्रवती एवं अनारबती द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नामांतरण पंजी कमांक 02 पर पारित आदेश दिनांक 30–01–2007 के विरूद्ध अपील इस आधार पर पेश की है कि दोनों बहनों को पैतृक भूमि के नामांतरण के समय न तो पक्षकार बनाया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी, अतः जानकारी दिनांक से अपील को समय–सीमा में मान्य की जाये। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात फौती नामांतरण की कार्यवाही की सूचना नहीं होने हितबद्ध पक्षकार होने हुये पक्षकार नहीं बनाने तथा किसी प्रकार की सूचना नहीं होने से धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मानने कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी में ग्राह्यता का आधार परिलक्षित नहीं होने अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>(डॉ0 मधु खरे)<br>सदस्य | |